# कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

## लोकपाल, मनरेगा(वैशाली)

### शिकायत संख्या– 26/13–14 के तथ्य एवं निष्कर्ष

दिनांक 28.10.13

अभ्युक्ति

यह शिकायत पत्र श्री राम जी राम, वार्ड सदस्य सं0 13 निवासी ग्राम पंचायत –खानपुर पकड़ी, प्रखण्ड– बिदुपुर, थाना– बिदुपुर, जिला– वैशाली के दिनांक 04.09.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है।

ग्राम पंचायत खानपुर पकड़ी में महादलित बस्ती में योजना का कार्य नहीं हुआ। बिल का भुगतान हो गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

योजना संख्या 129 (051600323/LD/ 129/11-12) धर्मेन्द्र राम, पिता– मच्छु राम मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग में दिनांक 11.04.2012 को 22081/ रूपये जाली निशान पर भुगतान बालाजी ब्रिक्स को हुआ है।

योजना सं0 130( 051600323/ LD/ 130/11-12) रामजी राम, पिता– मच्छु राम मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग में 75000/–रूपया का भुगतान बालाजी ब्रिक्स की हुआ है।

शिकायतकर्त्ता के आगे यह भी कहना है कि रामजी राम, पिता– मच्छु राम जॉब कार्ड सं0 100/755 पर 56 दिन शिवजी राम , पिता– मच्छु राम खाता सं0 1100/753 पर 56 दिन का तथा उनके पुत्र मोहन कुमार राम, पिता– रामजी राम खाता संख्या 1100/2610 के 42 दिनों की राशि का गबन हुआ है। वृक्षारोपण 60 यूनिट कार्य हुआ है जिसमें 10 प्रतिशत वृक्ष दिखाई नहीं देता है।

शिकायतकर्त्ता के शिकायत पत्र के संदर्भ में कार्यक्रम पदाधिकारी, बिदुपुर से बिन्दुवार जांच एवं जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। मुखिया,ग्राम पंचायत, खानपुर पकड़ी से कारण पृच्छा की मांग की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन नहीं दिया जा सका। मुखिया द्वारा भी कारण पृच्छा प्राप्त नहीं हो सका। दूरभाष से सम्पर्क करने पर भी कारण पृच्छा अप्राप्त था।

दूसरी ओर शिकायतकर्त्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई कागजात या कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उनकी कार्यालय में उपस्थिति हुई।

अतएव दिनांक 20.09.13 को मेरे द्वारा योजनाओं की स्थल जांच की गयी। मेरे साथ ग्राम पंचायत खानपुर पकड़ी के मुखिया पति श्री ललन पासवान एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

मेरे स्थल निरिक्षण में पाया गया कि योजना संख्या 129(051600323/LD/ 129/11-12) एवं योजना संख्या 130 (051600323/LD/ 130/11-12) का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। शिकायतकर्त्ता की शिकायत के अनुसार उक्त योजना स्थल के पास कोई ईंट वगैरह भी नहीं पाया गया। मुखिया ने बताया कि योजना सं0 129/11–12 एवं 130/11–12 पर विवाद हो गया था। जिस वजह से कार्य नहीं किया जा सका है।

वृक्षारोपण योजनाओं की जांच की गयी। योजनावार पाये गये जीवित पौधे की संख्या निम्न है।

| योजना संख्या | जीवित पौधों की संख्या |
|---|---|
| 13/11–12 | 185 |
| 14/11–12 | 135 |
| 16/11–12 | 100 |
| 18/11–12 | 97 |
| 19/11–12 | 182 |
| 20/11–12 | 200 |
| 22/11–12 | 178 |
| 23/11–12 | 164 |
| 33/09–10 | 185 |
| 33/10–11 | 200 |
| 36/09–10 | 185 |
| 36/10–11 | 224 |
| 39/10–11 | 184 |

| | |
|---|---|
| 40/10–11 | 180 |
| 42/11–12 | 198 |
| 43/11–12 | 170 |

जीवित पौधों में सागवान, करंज तथा नीबू आदि प्रजाति के पौधे लगाये गये थे।

शिकायतकर्त्ता श्री रामजी राम के गॉव उनके निवास स्थल पर उनसे मुलकात की गयी तथा शिकायत से संबंधित जानकारी मांगी गयी ।तो उन्होंने एक पत्र लिखवाकर दिया कि उन्होंने उक्त शिकायत पर प्रमोद सिंह पति– वार्ड सं0–14 के बहकाबे में आकर हस्ताक्षर कर दिया हूँ मुझे पंचायत के मनरेगा योजना से कोई शिकायत नहीं है। मजदूरी की राशि गबन किये जाने संबंधी उनके द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में पूछे जाने पर उन्होनें बताया कि मेरे द्वारा मनरेगा की वृक्षारोपण योजनाओं पर काम किया गया था जिसका भुगतान पूर्व में हो गया है। शिवजी राम से संबंधित आरोप के बारे में बताया गया कि वे मेरे भाई है। वे टी0बी0 की बीमारी से ग्रसित है। वर्तमान में वे अस्पताल में भरती है। वैसे उन्होंने भी वृक्षारोपण की योजनाओं में काम किया था जिसका भुगतान पूर्व में डाकघर के माध्यम से हो गया है। शिकायत पत्र के अनुसार मोहन कुमार राम के संबंध में बताया गया कि वह मरेा लड़का है जो अभी यहॉ नहीं है। वर्तमान में वह कानपुर में रह रहा है। उसने भी पूर्व में जो काम किया था उसका भुगतान डाकघर द्वारा कर दिया गया है।

उपरोक्त सभी कथनों को उन्होनें लिखित रूप से दिया है जिसके समर्थन में उपस्थित अन्य ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। मौके पर उपस्थित मच्छु राम से पूछने पर बताया गया कि उन्होंनें भी पंचायत की वृक्षारोपण योजनाओं में वनपोषक के रूप में काम किया था जिसका भुगतान मिल चुका है। उक्त कथन का एक पत्र दिया जिस पर उन्होनें अॅगूठे का निशान लगाया था तथा अन्य गवाहों द्वारा हस्ताक्षर भी कराया था।

भुगतान हेतु भेजी गयी एडवाइस से उनके नामों का मिलान किया गया। एडवाइस में उनलोगों के नाम अंकित थे। मिट्टी भराई से संबंधित कुछ योजनाओं का स्थल निरिक्षण किया गया। योजना सं0 05/ 10–11, 122/11–12, 71/10–11, 72/10–11, 75/110–11तथा 80/11–12 के कार्य स्थलों के निरिक्षण से मिट्टी भराई किया गया प्रतीत होता है। उक्त कार्य को साल दो साल पहले किया गया था। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल का सतह काफी नीचा तथा गढ्ढा था। जिसे मिट्टी भराई के बाद ऊँचा किया गया है।

दिनांक 21.09.13 को पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक एवं मुखिया द्वारा संयुक्त प्रतिवेदन दिया गया कि योजना सं0 129, धर्मेन्द्र राम के नजदीक चबूतरा निर्माण में सामग्री आपूर्तिकर्त्ता को सामग्री उपलब्ध कराने हेतु राशि चेक द्वारा दी गयी थी, परन्तु उक्त कार्य स्थल के पास ग्रामीणों द्वारा झोपड़ी आदि बना लेने के कारण विवाद हो गया। फलतः निर्माण कार्य बंद है।

योजना सं0 130 रामजी राम के निकट चबूतरा निर्माण के संबंध में बताया गया कि उक्त कार्य के लिए आपूर्तिकर्त्ता को सामग्री उपलब्ध कराने हेतु राशि दी गयी थी, परन्तु मनरेगा कर्मियों के हड़ताल के कारण निर्माण कार्य बाधित रहा है। अगले महीने निर्माण कार्य शुरू करा दिया जायेगा।

दिनांक 01.10.13 को कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित एक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जिसमें बताया गया कि योजना सं0 129/11–12 तथा 130/11–12 पर क्रमशः 75,000/ रूपया तथा 22015/ रूपया आपूर्तिकर्त्ता को सामग्री के लिए उपलब्ध कराया गया था। लेकिन मनरेगा कर्मियों के हड़ताल के कारण आपूर्तिकर्त्ता कार्य स्थल पर सामग्री की आपूर्ति नहीं कर पाया था। लेकिन हड़ताल समाप्ति के बाद सामग्री का आपूर्ति करा दिया गया है तथा कार्य भी प्रगति पर है। दस (10) दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

दिनांक 19.10.13 को पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक एवं मुखिया द्वारा एक संयुक्त प्रतिवेदन दिया गया कि योजना संख्या 129/11–12 ग्राम खानपुर पकड़ी में धर्मेन्द्र राम के नजदीक बड़ा चबुतरा निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त संबंध में उन्होंने एक तस्वीर भी उपलब्ध करायी है जिसमें चबूतरे का निर्माण हो चुका है परन्तु अंतिम चरण का (फिनिशिंग) कार्य बाकी है। योजना संख्या 130/11–12 के संबंध में बताया गया कि महादलित बस्ती में मच्छु राम के नजदीक बड़ा चबूतरा निर्माण कार्य हेतु जमीन मालिकों से सहमति प्राप्त कर शुरू की गयी थी। किन्तु जमीन मालिकों के बीच विवाद होने के कारण कार्य कराने से इन्कार कर दिया

गया है। उक्त विवाद संबंधी जमीन मालिक का एक पत्र भी साथ संलग्न था जिसमें उन्होंने उक्त योजना को बंद करने के लिए पंचायत रोजगार सेवक को लिखा है।

दिनांक 23.10.13 को मुखिया द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त किया गया कि ग्राम पंचायत खानपुर पकड़ी में योजना संख्या 130/11–12 प्रस्तावित था। योजना स्थल पर सामग्री आपूर्ति हेतु राशि आपूर्तिकर्त्ता को उपलब्ध करायी गयी थी। परन्तु उक्त योजना स्थल पर विवाद के कारण मजदूरों को कार्य करने से रोका गया। उक्त तथ्यों के आलोक में ग्राम सभा से पारित अन्य योजना पर कार्य करने हेतु उन्होंने कार्यक्रम पदाधिकारी, बिदुपुर से अनुमति मांगी है।

अभिलेख से योजना पंजी का अवलोकन किया गया। योजना संख्या 130/11–12 में आपूर्तिकर्त्ता को सामग्री उपलब्ध कराने हेतु 75000/ रूपया उपलब्ध कराया गया था। परन्तु विवाद के कारण कार्य का क्रियान्यवन नहीं हो पाया तथा जमीन मालिक द्वारा कार्य किये जाने पर रोक लगा दी गयी है। अतः आदेश दिया जाता है कि उक्त योजना में निर्गत राशि 75000/ रूपये प्रखण्ड की मनरेगा खाते में वापस जमा कर दी जाय। इसका अनुपालन कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक करेंगें।

योजना संख्या 129/11–12 के कार्य का अंतिम चरण अभी बाकी है। उसे 15 दिनों के अन्दर पूरा कर दें। वृक्षारोपण की योजनाएँ संतोषप्रद थी, परन्तु योजना संख्या 14/11–12, 16/11–12 तथा 18/11–12 में पौधों की संख्या कुछ कम थी। पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया को निदेश दिया जाता है कि उचित ऊँचाई एवं उचित किस्म के पौधे 15 दिनों के अन्दर लगवा दें। इसका अनुपालन भी कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक करेंगे।

अनुपालन प्रतिवेदन तीन सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे।

हस्ताक्षार

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक /अभिकरण, दिनांक

प्रतिलिपिः कार्यक्रम पदाधिकारी/ सुजाता कुमारी, पंचायत रोजगार सेवक, प्रखण्ड कार्यालय, बिदुपुर, जिला –वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक / अभिकरण, दिनांक

प्रतिलिपिः मुखिया, ग्राम पंचायत मानिकपुर पकड़ी, प्रखण्ड– बिदुपुर, जिला– वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक / अभिकरण, दिनांक

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को पत्रांक 1355/ ज0शि0 दिनांक 26.08.13 से संबंधित सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक / अभिकरण, दिनांक

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को पत्रांक सं0 1355/ज0शि0 दिनांक 26.08.13 से संबंधित तथ्य एवं निष्कर्ष, सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 2102 / अभिकरण, दिनांक 28/10/13

प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।